भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खंड 2 के उप
खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

दिसंबर, 2015

अधिसूचना

सा. आ...... जबकि मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड का ए-319 विमान VT-SCQ दिनांक 16.12.2015 को मुम्बई से हैदराबाद के लिए प्रचालन करते समय उड़ान एआई-619 मुम्बई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि उसका दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस दुर्घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री अमित गुप्ता, निदेशक एईडी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

(i) श्री राजे भटनागर, सहायक निदेशक, एएआईबी — सदस्य

(ii) श्री के. रामचंद्रन, विमान संरक्षा अधिकारी, एएआईबी — सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(बी एस भुल्लर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15029/118/2015-डीजी

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी
बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली